16.7.2018 पत्रावली पेश हुई। अवकाश दिलाई गई।

प्रार्थी की ओर से श्री शिवप्रकाश रावत, वरिष्ठ तकनीकी सहायक उपस्थित। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का फैसला 16/7/18 आदेश क्रमांक F 13/368 दिनांक 13-7-2018 की प्रति एवं प्रार्थना-पत्र बाबत धारा 456(1A) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को खारिज करने का पेश किया। हाजिर मिसल रहे अतिरिक्त लिक्विडेटर के प्रतिनिधि श्री शिव प्रकाश रावत को सुना गया। श्री शिवप्रकाश रावत का कथन है कि माननीय राज-उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के आदेश दिनांक 18.3.2005 द्वारा कम्पनी विघटित (Dissolved) हो गई है एवं वर्तमान में कम्पनी अस्तित्व में नहीं है। किसी प्रकार की कार्यवाही माननीय न्यायालय के विचाराधीन नहीं है अतः कम्पनी (फर्जी) के विरुद्ध एवं धारा 456(1A) के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र को खारिज फरमाया जावे।

मौके प्रार्थी के प्रतिनिधि के कथन पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नवला निर्णय दिनांक 18-3-2005 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कम्पनी विघटित हो चुकी है जिससे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है। जबकि कम्पनी विघटित हो चुकी है और प्रार्थी अन्तर्गत धारा 456(1A) प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं व खारिज करने की इच्छा रखते हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थना-पत्र दिनांक 16-7-2018 बाबत मैसर्स आर.के. हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड (फर्जी) के विरुद्ध धारा 456 1A) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर